

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

विषय :-

जनपद बांदा में नरैनी से कार्लींजर तक सड़क के किमी 0 35.00 से 60.825 तक तथा कार्लींजर-बघेलाबारी सड़क के किमी 0 0.00 से 1.50 तक फोर लेन निर्माण कार्य हेतु कुल 31.58 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1914 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

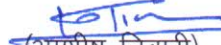
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/76/2018/एफसी/531, दिनांक 05.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त निर्गत सैद्धांतिक को ऑन लाइन अपलोड न होने के कारण ई-पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1158/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/25036/2017 दिनांक 10.12.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति ऑन लाइन अपलोड कर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है

2- विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 10.12.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं निर्गत सैद्धांतिक दिनांक 05.12.2018 की प्रति ऑन लाइन अपलोड कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथेपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या: 3928(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।